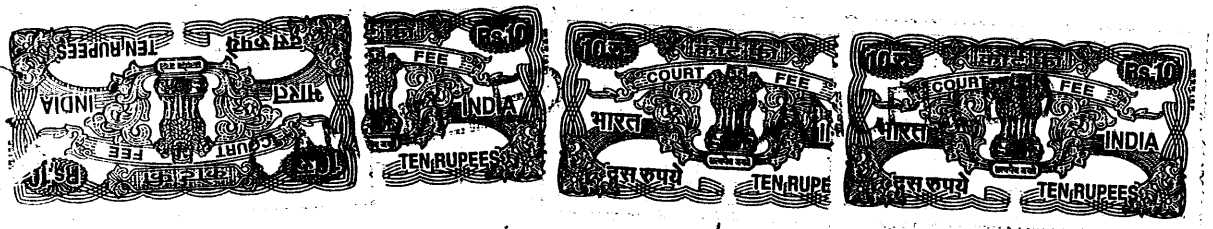

271

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल खण्डपीठ जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्र0 :--- /2015

निग/3680-I-15

550

1- "अमित साहू"

पिता- स्व0 श्री जवाहरलाल साहू

आयु- 33 वर्ष निवासी- मकान नंबर- 2606

इंदिरा बस्ती रतन नगर गुप्तेश्वर रोड

जबलपुर (म0प्र0) -------- पुनरीक्षणकर्ता क्र0 1

2- "अखिलेश साहू"

पिता- स्व0 श्री जवाहरलाल साहू

आयु- 33 वर्ष निवासी- मकान नंबर- 2606,

इंदिरा बस्ती रतन नगर गुप्तेश्वर रोड

जबलपुर म0प्र0 ----- पुनरीक्षणकर्ता क्र0 2

विरुद्ध

"आम जनता" -------- उत्तरार्थी

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी घंसौर जिला सिवनी म0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपीलीय प्रकरण क्रमांक- 9 अ-6/2014-15 तथा 10 अ-6/2014-15 के अंतर्गत आदेश दिनांक- 6/8/2015 से व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता- 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, माननीय से निवेदन करते है कि :-------

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि, पुनरीक्षणकर्तागणों द्वारा आदेश दिनांक- 6/8/2015 (मू के विरुद्ध प्रथम पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, उक्त आदेश के विरुद्ध अन्य

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3680–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.11.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निरानी अनुविभागीय अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी के अपील प्रकरण कमांक 9/अ–6/2014–15 तथा 10/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6–8–15 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के दादा स्व. झाडूलाल द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178–क के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम काटकर आवेदकों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आवेदन दिया गया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर कार्यवाही उपरांत अपने आदेश दिनांक 3–3–14 द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक ने अपने सभी वैध वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण आवश्यक हितबद्ध पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है और कुसंयोयजन की त्रुटि होने के कारण प्रकरण खारिज किया । इस आदेश के विरूद्ध झाडूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई । जिसमें अनावेदकों को प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में गिरधारीलाल एवं भागीरथ पिता झाडूलाल द्वारा आपत्ति पेश कर झाडूलाल के विधिक वारिसानां को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिया गया । इस आपत्ति पर उभयपक्षों	

R. 3680. I/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि आपत्तिकर्ताओं ने तहसील न्यायालय में भी आपत्ति की थी परंतु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाना विधि अनुकूल नहीं होता है और उन्होंने आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त की साथ ही उन्होंने यह मानते हुए कि प्रकरण में व्यवहार वाद विचाराधीन है और व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्देश का पालन किया जावेगा और उन्होंने आपत्तिकर्ता को निर्देश दिए कि वे वादग्रस्त भूमि का निराकरण करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान द्वारा निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण संहिता की धारा 32 सहपठित धारा 137 भा0साक्ष्य अधिनियम के तहत निराकृत न कर त्रुटि की गई है अनुविभागीय अधिकारी को अपीलों का निराकरण अंतिम रूप से करना चाहिए था ।

4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख से यह पाया जाता है कि मृतक झाडूलाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम काटकर आवेदकों का नाम दर्ज किये जाने का आवेदन किया गया था जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध झाडूलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई और अपील के दौरान झाडूलाल की मृत्यु हो गई है और प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है । चूंकि व्यवहार न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा ऐसी स्थिति में

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3680–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष जो अपीलकर्ता थे की मृत्यु हो जाने से प्रकरण को निरस्त करने के जो आदेश दिया गया है वह अपने स्थान पर उचित है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	